डिजिटल अरेस्ट: सर्वोच्च न्यायालय ने RBI से कहा, उचित-परिश्रम में चूक पर पीड़ितों को मुआवज़े की व्यवस्था हो

समाचार-संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई, 29 अक्टूबर 2026 (द हिंदू और लाइवमिंट की रिपोर्ट)। प्रकाशन: 30 अक्टूबर 2026।
मुख्य परीक्षा: GS-2 शासन और न्यायपालिका की भूमिका, GS-3 आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध, बैंकिंग विनियमन।
प्रिलिम्स: डिजिटल अरेस्ट, म्यूल खाता, RBI के KYC निर्देश, स्वतः संज्ञान।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

द हिंदू और लाइवमिंट की रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2026 को डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से कहा कि वित्तीय संस्थाओं की उचित-परिश्रम (due diligence) की विफलता के मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने की व्यवस्था प्रस्तावित नियमों में हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ RBI के प्रस्तावित “KYC संशोधन निर्देश, 2026” को परखना चाहती है।

रिपोर्टों के अनुसार मुख्य बातें

- **पीठ की अपेक्षा:** द हिंदू के अनुसार पीठ ने कहा कि वित्तीय संस्थाओं में ऐसी प्रणाली हो, जो खाते के सामान्य लेन-देन से अलग असामान्य लेन-देन को अस्थायी रूप से रोक सके। ऐसे लेन-देन की स्वचालित सूचना पुलिस को जाए, और उसके बाद भौतिक सत्यापन हो।
- **मुआवज़ा:** रिपोर्टों के अनुसार पीठ ने पूछा कि बैंक इन पीड़ितों के प्रति जवाबदेह क्यों न हों। पीठ ने कहा कि समस्या में बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी रही है। यह पीठ की मौखिक टिप्पणी है, कोई अंतिम आदेश नहीं।

- **सरकार और RBI का पक्ष:** अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने जल्दबाज़ी के विरुद्ध कहा कि उपाय RBI और हितधारकों के परामर्श से ही लागू हो सकते हैं। उनके अनुसार इस वर्ष डिजिटल अरेस्ट के मामले पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% घटे हैं।
- **समय-सीमा:** द हिंदू के अनुसार अटॉर्नी जनरल ने बताया कि प्रस्तावित KYC निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू होंगे। लाइवमिंट के अनुसार न्यायालय ने प्रस्तावित निर्देश दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया और उन्हें वर्षांत तक लागू करने को कहा। दोनों रिपोर्टों के शब्द अलग हैं, इसलिए आदेश-पाठ देखे बिना सटीक व्यवस्था तय नहीं की जा सकती।
- **राज्यों से जानकारी:** पीठ ने राज्यों से डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज FIR और जाँच व अभियोजन की स्थिति बताने को कहा। द हिंदू के अनुसार मामला 30 नवंबर से पहले फिर सूचीबद्ध होगा।
- **व्हाट्सऐप:** द हिंदू के अनुसार व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मौखिक रूप से कहा कि मंच ने 9,400 संदिग्ध खाते अपने स्तर पर प्रतिबंधित किए हैं। न्यायालय ने व्हाट्सऐप को हस्तक्षेप की अनुमति दी।
- **आँकड़ा:** द हिंदू के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस वर्ष देश की अर्थव्यवस्था को 800 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध नुकसान हुआ, जबकि पिछले वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपये का हुआ था। ये न्यायालय में की गई टिप्पणियाँ हैं, किसी सरकारी आँकड़ा-तालिका का पाठ हमने नहीं पढ़ा।

क्या सिद्ध है और क्या नहीं

रिपोर्टों के स्तर पर: पीठ की अपेक्षा, मौखिक टिप्पणियाँ, राज्यों से जानकारी माँगना और अगली सुनवाई 30 नवंबर से पहले।
अभी तय नहीं: RBI के प्रस्तावित KYC निर्देशों में मुआवज़े की कोई बाध्यता होगी या नहीं, यह अंतिम निर्देश के बाद ही स्पष्ट होगा। बैंकों पर कोई अंतिम दायित्व न्यायालय ने तय नहीं किया है।
अनुमान से बचें: पीठ की टिप्पणी को आदेश न मानें। आँकड़े (800 करोड़ रुपये, 50% कमी) सुनवाई में कही गई बातें हैं, सत्यापित सरकारी आँकड़े नहीं।

परीक्षा-दृष्टि

लाइवमिंट के अनुसार “म्यूल खाता” ऐसा बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों, जिनमें साइबर अपराध भी है, से मिले धन को प्राप्त या स्थानांतरित करने में होता है। उसी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में न्यायालय ने RBI को म्यूल खातों और साइबर-जनित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने वाले बैंकों के लिए ढाँचा और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का निर्देश दिया था। मुख्य परीक्षा में न्यायालय की निगरानी, नियामक की जवाबदेही और उपभोक्ता-संरक्षण के संतुलन पर प्रश्न बन सकता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर धोखाधड़ी में पीड़ितों की रक्षा के लिए बैंकों और वित्तीय नियामक की जवाबदेही तय करने में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। इस दिशा में नीतिगत संतुलन क्या होना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: डिजिटल अरेस्ट की प्रकृति बताएँ, यानी पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर गिरफ़्तारी का भय दिखाकर रकम ट्रांसफ़र कराना, और स्वतः संज्ञान वाले मामले को उदाहरण के रूप में रखें, क्योंकि अंतिम निर्देश अभी नहीं आया है।

मुख्य भाग में: एक ओर बैंकों की उचित-परिश्रम की ज़िम्मेदारी, संदिग्ध लेन-देन रोकने की प्रणाली और पुलिस को सूचना रखें। दूसरी ओर नियामक के परामर्श की प्रक्रिया, जल्दबाज़ी से उपभोक्ता-सुविधा पर असर, मध्यस्थ मंचों की भूमिका और जन-जागरूकता रखें। ध्यान दें कि ये विश्लेषण-बिंदु हैं, रिपोर्ट के दावे नहीं।

निष्कर्ष में: स्पष्ट मानक, समयबद्ध नियम, बैंक, नियामक, पुलिस और मंचों के बीच समन्वय तथा जागरूकता के संतुलन का सुझाव दें।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. डिजिटल अरेस्ट मामले की सुनवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्टों के अनुसार पीठ ने RBI के प्रस्तावित KYC निर्देशों में उचित-परिश्रम की विफलता पर पीड़ितों को मुआवज़े की व्यवस्था पर ज़ोर दिया।
2. रिपोर्टों के अनुसार पीठ ने राज्यों से ऐसे मामलों में दर्ज FIR और जाँच की स्थिति की जानकारी माँगी।
3. रिपोर्टों के अनुसार न्यायालय ने बैंकों पर मुआवज़ा देने का अंतिम आदेश पारित कर दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (a) केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 द हिंदू और लाइवमिंट की रिपोर्टों से मेल खाते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि पीठ ने टिप्पणियाँ कीं और RBI से व्यवस्था माँगी। रिपोर्टों में मुआवज़े का कोई अंतिम आदेश नहीं है।

प्रश्न 2. साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ में "म्यूल खाता" क्या है?

(a) वह खाता जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों से मिले धन को प्राप्त या स्थानांतरित करने में होता है

(b) केवल बच्चों के लिए खोला गया बचत खाता

(c) शून्य शेष वाला जन-धन खाता

(d) सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बना खाता

▼ उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (a)। लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार म्यूल खाते अवैध गतिविधियों, जिनमें साइबर अपराध भी है, से मिले धन को प्राप्त या स्थानांतरित करने के लिए उपयोग होते हैं।

स्रोत और तथ्य-सीमा

- द हिंदू: Supreme Court calls for financial institutions to compensate digital arrest victims (पढ़ा), 29 अक्टूबर 2026।
- लाइवमिंट: SC pulls up RBI over cyberfrauds, seeks strict liability for losses (पढ़ा), 29 अक्टूबर 2026।

सीमा: न्यायालय का आदेश-पाठ और RBI का प्रस्तावित मसौदा उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिले। ब्योरे समाचार-रिपोर्टों से हैं और दोनों रिपोर्टों में समय-सीमा के शब्द अलग हैं।